भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 13 (आर ई - 20102) /2009-2014

नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर,2010

विषयः- प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर अगले आदेशों तक रोक के संबंध में ।

सां.आ.(अ) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, तत्काल प्रभाव से प्याज की सभी किस्मों (निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 की तालिका ख की क्र.सं. 44) के निर्यात पर रोक लगाती है ।

2. प्याज के निर्यात के संबंध में जारी की गई पूर्व की सभी अधिसूचनाओं के अतिक्रमण में प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक रोक लगाने का निर्णय किया गया ।

3. तद्नुसार निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एचएस) वर्गीकरण में अनुसूची 2 की तालिका ख की क्र.सं. 44 पर संगत प्रविष्टि को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :-

**अध्याय - 7**

## खाद्य सब्जियाँ और कुछ जड़ें एवं कन्द

टिप्पणी 1. इस अध्याय में प्याज के संदर्भ में ताजे अथवा हिमशीतित, अनंतिम रूप से संरक्षित अथवा शुष्कित प्याज शामिल हैं ।

| क्रम.सं0 | प्रशुल्क मद एचएस कोड | इकाई | मद विवरण | निर्यात नीति | प्रतिबंध का स्वरूप |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 07031010<br>07122000 | किग्रा. | प्याज (सभी किस्में) जिसमें ताजे, अथवा हिमशीतित, अनंतिम रूप से तैयार अथवा शुष्कित परन्तु कटे, स्लाइस्ड अथवा पाऊडर के रूप में टूटे हुए को छोड़कर, बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज शामिल हैं। | निषिद्ध | निर्यात हेतु अनुमत नहीं है। |

4. विदेश व्यापार नीति 2009-14 के पैरा 1.4 और 1.5 के तहत यथा उपलब्ध अन्तर्वर्ती व्यवस्थाएं लागू **नहीं** होंगी।

**(अनुप के0 पूजारी)**
**महानिदेशक विदेश व्यापार**
**ई मेल :-** dgft@nic.in

**( फा0सं0 01/91/180/922/ए एम 08/पीसी 3/एक्सपोर्ट सेल से जारी)**